



भा.कृ.अनु.परि.—केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान

पहुज बॉध के पास, झॉंसी—ग्वालियर मार्ग, झॉंसी - 284003 (उ० प्र०)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute

Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 - 2730214, 2730154 Fax : 0510 - 2730364 Web : www.cafri.res.in



क्रमांक : 3-15/2021-22

दिनांक : 03/08/2021

प्रति,

.....
.....
.....


विषय : उखड़े/कटे सूबबूल की लकड़ी की बिक्री हेतु अल्पकालीन निविदा आमन्त्रण सूचना ।

महोदय,

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के आवासीय परिसर एवं उसमें स्थित बच्चों के पार्क के आस-पास स्थित सूबबूल के जड़ सहित उखड़े वृक्षों की कटी पड़ी लकड़ी की "जहाँ है - जैसी है" के आधार पर, बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदाएँ संस्थान द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 18 अगस्त, 2021 को अपरान्ह 12.30 बजे तक निदेशक कार्यालय में स्वयं के द्वारा/स्पीड पोस्ट द्वारा/कोरियर डाक द्वारा आमन्त्रित हैं। संस्थान द्वारा संलग्नित / दिये गये निविदा प्रपत्र से भिन्न प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा । प्राप्त निविदायें दिनांक 18/08/2021 को अपरान्ह 2.30 बजे सन्दर्भित कार्य हेतु गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी । निविदाकर्ता को निविदा के साथ, सुरक्षा धनराशि के रूप में रुपये 500/- की पी.ओ.एस. द्वारा भुगतान की संस्थान के कैंशियर से प्राप्त रसीद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि आई.सी.ए.आर. इकाई सी.ए.एफ.आर.आई., झॉंसी के पक्ष में निर्गत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा करारी, झॉंसी (कोड = 07477) पर देय हो, को संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

सं.	विवरण	लकड़ी का कुल अनुमानित वजन
1	सूबबूल की जड़ सहित उखड़े वृक्षों की जलाऊ लकड़ी	60 - 70 क्विंटल


इच्छुक व्यक्ति / लकड़ी व्यवसायी / ठेकेदार सूखी लकड़ी को "जहाँ है - जैसी है" के आधार पर, क्रय किये जाने हेतु निविदा जमा करने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रक्षेत्र प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित कर बिक्री से सम्बन्धित आवश्यक नियम व शर्तें तथा उखड़े/कटे वृक्षों/लकड़ी का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं । निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त एवं लकड़ी को काटने/उठाने के पूर्व सम्पूर्ण धनराशि संस्थान को जमा करना अनिवार्य होगा । निविदा स्वीकृति के उपरान्त उखड़े वृक्षों की लकड़ी को काटने एवं ढुलाई का कार्य प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार सम्पन्न करना होगा। बिक्री उपरान्त उक्त लकड़ी की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार/क्रेता का होगा । संस्थान के निदेशक महोदय को निविदा से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने एवं किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।


प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

अन्य शर्तें -

- नीलामी / बिक्री का कार्य निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉंसी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा ।
- निविदाकर्ता को अपना फोटो पहचान-पत्र/आधार कार्ड, निवास स्थान, कार्यालय का पता तथा दूरभाष संख्या प्रस्तुत करना होगा । बिना पहचान-पत्र के किसी भी व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी ।
- उपरोक्तंकित लकड़ी को "जहाँ है - जैसी है" के आधार पर निविदा के माध्यम से बिक्री किया जायेगा ।
- सफल निविदाकर्ता को स्वीकृत कुल धनराशि पूर्ण रूप से, निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के पश्चात् तथा लकड़ी की कटाई/ढुलाई के पूर्व, तत्काल जमा करनी होगी ।
- इच्छुक निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व, सम्बन्धित नीलामी के सम्बन्ध में, स्थल निरीक्षण तथा आवश्यक जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारी/वरिष्ठ प्रक्षेत्र प्रबन्धक से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं ।
- निदेशक महोदय अथवा गठित समिति को कोई भी अन्य शर्तें जो यहाँ अपूर्ण हैं, सम्मिलित करने का अधिकार होगा ।
- सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रक्षेत्र में प्रवेश और निष्कासन सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त गेट पास द्वारा हो सकेगा ।
- नीलामी का प्रारम्भ, संस्थान द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम राशि से अधिक निविदित राशि से होगा, जो कि उच्चतम निविदित राशि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।
- बिक्री के उपरान्त लकड़ी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म की होगी ।

10. उखड़े/कटे पेड़ों की लकड़ी की कटाई एवं ढुलाई का कार्य स्वीकृति के उपरान्त 30 दिवस की अवधि में सम्पन्न करना होगा ।
11. यदि सफल निविदाकर्ता ठेकेदार/फर्म के द्वारा अथवा उसके नामित किसी भी व्यक्ति/श्रमिक द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को जानबूझकर/अथवा अन्य किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचायी जाती है, तो इस अवस्था में संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को वहन करनी होगी।
12. निविदाकर्ता फर्म/ठेकेदार को निविदा के माध्यम से खरीदी गयी उखड़े/कटे वृक्षों की लकड़ी के कुल मूल्य पर नियमानुसार जीएसटी (GST) आदि का अतिरिक्त भुगतान यदि देय होगा, करना होगा ।
13. उखड़े/कटे वृक्षों की लकड़ी की बिक्री निर्धारित शासकीय विक्रय दर से कम कीमत पर नहीं की जायेगी । अतः ठेकेदार इसके ऊपर ही अपनी खरीद दर की निविदा प्रस्तुति करें ।
14. संस्थान के निदेशक महोदय को निविदा से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने एवं किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।


प्रभारी अधिकारी (मण्डार)

(कृपया अपने लेटर पेड के साथ ही प्रेषित करें)

निविदा प्रपत्र

दिनांक :

प्रति,

निदेशक महोदय
भा.कृ.अनु.परि. - केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान,
पहुज बाँध के पास, ग्वालियर रोड, झाँसी - 284 003 (उ० प्र०)

विषय : उखड़े/कटे सूबबूल के वृक्षों की लकड़ी की नीलामी के माध्यम से खरीद हेतु निविदा ।

संदर्भ : 3-15/2021-22 दिनांक 03/08/2021

महोदय,

आपके संस्थान की संदर्भित निविदा संख्या 3-15/2021-22 दिनांक 03/08/2021 के सम्बन्ध में, मैंने निम्न विवरणानुसार उखड़े/कटे सूबबूल के वृक्षों की लकड़ी की खरीद किये जाने के पूर्व, उनका भली भौति निरीक्षण कर लिया है तथा मैंने आपके सम्बन्धित उखड़े/कटे सूबबूल के वृक्षों की खरीद हेतु संदर्भित निविदा की सभी शर्तें पढ़कर समझ लीं हैं तथा उक्त समस्त शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत होते हुए मैं उल्लिखित उखड़े/कटे सूबबूल के वृक्षों की लकड़ी को स्वयं के साधन जुटाकर - काटकर ले जाने हेतु आपको अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सं.	विवरण	लकड़ी का कुल अनुमानित वजन	क्रेता द्वारा खरीद का कुल एक मुश्त मूल्य (नियमानुसार जी.एस.टी.आदि यदि होगा, के अतिरिक्त)
1.	सूबबूल की जड़ सहित उखड़े वृक्षों की जलाऊ लकड़ी	60 - 70 विंटल	
योग :			

संस्थान द्वारा निविदा की धरोहर राशि के रूप में वांछित रूपये 500/- मात्र पी.ओ.एस. जमा रसीद / ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्र.सं.दिनांक..... निविदा के साथ संलग्न है ।

भवदीय

संलग्नक : रसीद/डी.डी. सं. दि०.....राशि.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :

पिता का नाम :

पता :

.....

मोबाईल न०.....